राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 18/09/2019 को संपन्न 294वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

–––000–––

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 294वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 18/09/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः दिनांक 17/09/2019 को संपन्न 293वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 293वीं बैठक दिनांक 17/09/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2ः गौण / मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स पी.आर.ए. ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (करकोटी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स्ड चिमनी ब्रिक प्लांट) ग्राम–करकोटी व तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 926)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40077/2019, दिनांक 27/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–करकोटी, तहसील–भैयाथान, जिला–सूरजपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 468, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 893.53 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 8,50,250 नग प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करकोटी का दिनांक 19/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1308/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 10/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 321/खनिज/2019 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1200/खनिज/ई–निविदा–करकोटी/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 22/08/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से उनका समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. लीज सीमा से गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु सक्षम अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स टी.आर. ब्रिक्स (कुंजनगर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट, प्रो.– श्री तेमलाल राजवाड़े), ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 927)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40269/2019, दिनांक 30/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। ग्राम–कुंजनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 653, 582, 584, 585, 586 एवं 650, कुल क्षेत्रफल – 2.25 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 882.76 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 6,00,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुंजनगर का दिनांक 07/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1322/खनिज/2018, सूरजपुर दिनांक 17/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 731/खनिज/ई–निविदा–कुंजनगर/2019 सूरजपुर, दिनांक 15/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–सूरजपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1202/खनिज/ई–निविदा–कुंजनगर/2018 सूरजपुर, दिनांक 04/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री उमेश शर्मा लाईम स्टोन माईन, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 908)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 38103/2019, दिनांक 24/06/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत

करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 31/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5, कुल क्षेत्रफल – 1.59 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोड़पेण्ड्री का दिनांक 29/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 1235/खनि.लि./खनिज/2019 बालोद, दिनांक 12/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि.02/ खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 18.469 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जानकारी में उल्लेखित उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की सूची के क्रमांक 1 मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर, को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कच्चा रास्ता, नाला एवं तालाब स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019, दुर्ग दिनांक 25/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. फॉर्म–1, फॉर्म–1एम एवं अन्य दस्तावेजों में खसरा क्रमांक 316(पार्ट), 317/1, 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 318/5 का उल्लेख किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों में खसरा क्रमांक 316, 317/1,

317/2, 317/3, 317/4, 317/5 एवं 326 का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः—

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2019/3773 दुर्ग, दिनांक 29/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु दिनांक 05/09/2019 को आवेदन किया गया है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदन में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 317/5 के स्थान पर खसरा क्रमांक 318/5 का उल्लेख हो गया है। अतः खनिज विभाग के आशय पत्र में वर्णित खसरा क्रमांक 316, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5 एवं 326, कुल क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर को खसरा क्रमांक 316, 317/1(पार्ट), 317/2, 317/3(पार्ट), 317/4 एवं 317/5, कुल क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर माना जाए।
4. निकटतम आबादी ग्राम—गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम—गोंडपेण्ड्री 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल फुण्डा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1 कि.मी. एवं नहर 2 कि.मी. दूर है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
6. जियोलॉजिकल रिजर्व 5,16,750 टन एवं माईनेबल रिजर्व 2,93,860 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.465 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 16,872 घनमीटर एवं गहराई 1.5 मीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा की ओर स्थित स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 317/1(पार्ट) तथा खसरा क्रमांक 317/3(पार्ट) पर आवश्यकता पड़ने पर मिट्टी डम्प की जाएगी। खदान की संभावित आयु 6.5 वर्ष है। वेट ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः—

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000	3	18,000	45,000
द्वितीय	6,000	3	18,000	45,000
तृतीय	6,000	3	18,000	45,000
चतुर्थ	6,000	3	18,000	45,000

पंचम	6,000	3	18,000	45,000
छटवे	6,000	3	18,000	45,000
सातवे	920	3	8,920 (2,760+6,160)	22,300
	6,160	1		

7. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर एवं बोरवेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
8. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
9. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
10. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—
    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Following activities at Nearby Goverment School Village-Gondpendri	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Total	**Rs. 0.70**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 217/खनि.लि. 02/ खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 28/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से

500 मीटर के भीतर 10 खदानें, कुल क्षेत्रफल 18.469 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि जानकारी में उल्लेखित उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की सूची के क्रमांक 1 मेसर्स श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर, को सैद्धांतिक निर्णय (LOI) स्वीकृत है, जिस पर वर्तमान में उत्खनन अनुज्ञा जारी नहीं की गई है। आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) का रकबा 1.59 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) को मिलाकर कुल रकबा 18.469 हेक्टेयर (श्री नरेन्द्र चतुर्वेदी का क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर को छोड़कर) है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:–

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.

ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photograph.

iii. Project proponent shall submit copy of extended LOI letter.

iv. Project Proponent shall submit the proposal for safe storage of top soil within mine lease area.

v. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

vi. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

vii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

ix. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स शशिकांत तिवारी (केपी आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–केपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 929)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40338/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थिर खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल –1.423 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,700.45 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केपी का दिनांक 23/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 552/खनिज/2019, अंबिकापुर दिनांक 20/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 837/खनिज/ख.लि.4/2019 अंबिकापुर, दिनांक 02/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 156/ खनिज/ खलि.4/ ई–टेण्डर/ 18 अंबिकापुर, दिनांक 30/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु

उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स कण्डरका ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री आयुष बड़वानी), ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 931)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40404/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कण्डरका, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 846(पार्ट), 831/2 एवं 845, कुल क्षेत्रफल – 3.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 3,400 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 32,98,000 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कण्डरका द्वारा दिनांक 05/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 489/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 375/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1537/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स भालेसर ब्रिक्सअर्थ क्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्री ओजस बड़वानी), ग्राम–भालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 932)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40409/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–भालेसर, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 501, 502, 525, 526, 599/2, 601/1, 602, 603, 604, 607/1, 607/2(पार्ट), 610/1 एवं 610/3, कुल क्षेत्रफल – 3.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 2,551 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ईंट उत्पादन क्षमता – 24,74,470 नग प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **जनपद पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपठनीय है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 491/खनि.लि/उ.यो./2019, बेमेतरा दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 377/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 10.15 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1535/खनि.लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 08/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. जनपद पंचायत बेरला का अनापत्ति प्रमाण पत्र (पठनीय प्रति) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स चंगोरी ब्रिक्स अर्थ माईन (प्रो.– श्री धनेश राम देशमुख), ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला – दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 828)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 34676/2019, दिनांक 13/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/08/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान है। खदान ग्राम–चंगोरी, तहसील व जिला – दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1117 से 1119, 1122 से 1125 एवं 1135 से 1141, 1148/1 एवं 1150, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज मिट्टी उत्खनन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज मिट्टी उत्खनन खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चंगोरी का दिनांक 28/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि/खनिज/2018, बालोद दिनांक 28/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 1 खदान, क्षेत्रफल 1.15 हेक्टेयर है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक पर रास्ता एवं 100 मीटर में शिवनाथ नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 193/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2018 दुर्ग, दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2019/3235 दुर्ग, दिनांक 26/07/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. फॉर्म–2 के बिन्दु क्रमांक 8 में माईनिंग ऑफ ऑर्डनरी स्टोन माईन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है, जबकि अन्य दस्तावेजों में मिट्टी उत्खनन का उल्लेख किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धनेश राम देशमुख, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है। अतः आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने के लिए अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री विकास अग्रवाल लाईम स्टोन माईन, ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 934)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40484/2019, दिनांक 02/08/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौराभाठा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग खसरा क्रमांक 1987/2(पार्ट), 1987/3(पार्ट) एवं 1987/4(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.68 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 57,754 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धौराभाठा का दिनांक 24/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक 195/खनि.लि/खनिज/2019, बालोद दिनांक 07/06/2019 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि.लि.02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.64 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में उत्तर दिशा में बरसाती नाला, पूर्व दिशा में कच्चा रास्ता स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1796/खनि.लि.02/ई–ऑक्शन/2019 दुर्ग, दिनांक 23/02/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2019/2449 दुर्ग, दिनांक 06/06/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वन क्षेत्र से लगभग 40 कि.मी. की दूरी है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुज किया गया। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 4886/खनि 02/उ.प.–अनुनिष्पा./न.क्र.50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि दिनांक 21/02/2020 तक की गई है।
2. निकटतम आबादी ग्राम–धौराभाठा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम–धौराभाठा 2 कि.मी. एवं अस्पताल सेलुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। नाला 0.6 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
4. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 9,38,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 5,17,300 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.49 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। वेट ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000	1.5	15,000	35,625
	5,400	1.5	8,100	19,238
द्वितीय	5,800	1.5	8,700	20,663
	9,600	1.5	14,400	34,200
तृतीय	14,100	1.5	21,150	50,233
	1,300	1.5	1,950	4,633
चतुर्थ	12,100	1.5	18,150	43,108
	3,300	1.5	4,950	11,758
पंचम	9,400	1.5	14,100	33,488
	6,000	1.5	9,000	21,375

आगामी पांच वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे	2,900	1.5	4,350	10,333
	2,600	1.5	3,900	9,263
	2,400	1.5	3,600	8,550
	2,200	1.5	3,300	7,838
	2,000	1.5	3,000	7,125
	18,000	1.5	2,700	6,413
सातवे	6,000	1.5	9,000	21,375
	9,400	1.5	14,100	33,488
आठवे	4,300	1.5	6,450	15,320
	11,100	1.5	16,650	39,545
नौवे	1,900	1.5	2,850	6,770
	12,000	1.5	18,000	42,750
	3,700	0.5	1,850	4,395
दसवे	3,300	0.5	1,650	3,920

5. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टेंकर एवं बोरवेल की से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
7. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
8. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 57.50	2%	Rs. 1.15	Following activities at Nearby Goverment School Village-Dhaurabhatha	
			Rain water harvesting	Rs. 0.70
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.45
			Total	**Rs. 1.15**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 206/खनि.लि. 02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 20/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 5.64 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-धौराभाठा) का रकबा 2.68 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-धौराभाठा) को मिलाकर कुल रकबा 8.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये:-

i. District Survey Report (D.S.R.) shall be submitted as per O.M. dated 25/07/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India.

ii. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photograph.

iii. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

vi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detail estimates.

vii. Project proponent shall submit NOC from DGMS for blasting.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर बिलास संदिपान)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(A.K. GOURAHA) 10/10/19

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़